(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 5th June, 2025

NOTIFICATION

No. 9-6/2025-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas**, an online application was submitted on the UGC Portal for grant of Institution deemed to be University status under General Category to the following three colleges in the name of Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh:

i. Audisankara College of Engineering & Technology, Gudur, Tirupati Dist, Andhra Pradesh.
ii. Audisankara College of Education, Gudur, Tirupati, Andhra Pradesh.
iii. Sri Prasunna College of Law, Kurnool, Kurnool Dist., Andhra Pradesh.

3. **And whereas**, UGC, vide its letter No.10-4/2023 (CPP-I/DU) dated January, 2025, informed that the application was examined by the UGC Expert Committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Committee recommended for grant of Institution deemed to be University status under general category to Audisankara, Gudur consisting of the above mentioned three colleges, with certain conditions. The recommendations of the UGC Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 586th meeting (Item No. 2.08) held on 23.12.2024.

4. **And further whereas**, after examining the advice of UGC as well as the report of UGC Expert Committee, UGC was requested to clarify certain points. In response, UGC clarified that only Audisankara College of Engineering & Technology, Gudur, Tirupati Dist, Andhra Pradesh is fulfilling the eligibility conditions in terms of NAAC/NBA accreditations. A separate Society has also been created in the name of Audisankara Research and Educational Institute vide Registration No.155 of 2024 on 29.07.2024.

5. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby declares Audisankara College of Engineering & Technology, Gudur, Andhra Pradesh as an Institution deemed to be University under general category in the name of Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh subject to the fulfilment of the following conditions:

i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.

ii. All the moveable and immoveable assets should be either in the name of the deemed to be University or Audisankara Research and Educational Institute Society.

iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.

iv. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

v. The academic programmes to be offered at Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

vi. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall align its courses with National Education Policy-2020.

vii. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.

viii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh.

ix. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to this Ministry and UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

x. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

xi. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

xii. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

पूर्णेन्दु कि बनर्जी

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

<u>Copy forwarded to</u>:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Chairman, Aishwarya Vignan Educational Society, Audisankara College of Engineering & Technology, NH-5 bypass Road, Aravinda Nagar, Gudur -524101.
3. The Principal Secretary, Department of Technical & Higher Education, Government of Andhra Pradesh.
4. The President, Audisankara Research and Educational Institute Society, 25/2/95/Revenue Colony, Hero Honda Showroom Street, Dargamitta, Nellore-1, Andhra Pradesh-524004.
5. The Principal, Audisankara College of Engineering & Technology, NH-5 bypass Road, Aravinda Nagar, Gudur -524101.
6. The Vice-Chancellor, Jawaharlal Nehru Technological University, Anantpur.
7. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
8. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
10. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
11. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 1578

(भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन

दिनांक : 5 जून, 2025

अधिसूचना

सं 9-6/2025-यू.3(ए): जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार है।

2. **और जबकि**, औदीशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश के नाम से निम्नलिखित तीन कॉलेजों को सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने के लिए यूजीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था:

i. औदिशंकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गुडूर, तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश।

ii. औदिशंकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुडूर, तिरूपति, आंध्र प्रदेश।

iii. श्री प्रसुन्ना कॉलेज ऑफ लॉ, कुरनूल, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश।

3. **और जबकि**, यूजीसी ने जनवरी, 2025 के अपने पत्र संख्या 10-4/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया है कि आवेदन की जांच यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियमन, 2023 के अनुपालन में की गई थी। समिति ने कुछ शर्तों के साथ, ऊपर उल्लिखित तीन कॉलेजों को मिलाकर औदीशंकर, गुडूर के नाम से सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने की सिफारिश की थी। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा 23.12.2024 को आयोजित अपनी 586वीं बैठक (मद संख्या 2.08) में विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया।

4. **और आगे, जबकि** यूजीसी की सलाह और यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की जांच के उपरांत, यूजीसी से कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। प्रत्युत्तर में, यूजीसी ने स्पष्ट किया कि केवल औदिशंकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गुडूर,

पृ.फि.

तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश ही एनएएसी/एनबीए मान्यता के मामले में पात्रता की शर्तों को पूरा कर रहा है। दिनांक 29.07.2024 को 2024 की पंजीकरण संख्या 155 के तहत औदिशंकर रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से एक पृथक सोसायटी भी बनाई गई है।

5. **अब, इसलिए**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, औदिशंकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गुडूर, आंध्र प्रदेश को औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश के नाम से सामान्य श्रेणी के तहत एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन है:

i. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी शपथ पत्रों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

ii. सभी चल और अचल संपत्तियां या तो सम विश्वविद्यालय या औदिशंकर रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी के नाम पर होनी चाहिए।

iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई विचलन नहीं किया जाएगा।

iv. औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।

v. औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।

vi. औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश अपने पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।

vii. औदीशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश को सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने तथा संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे, जैसा भी मामला हो, जैसा कि समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियमन, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार हो।

viii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि

प्रफिल

के मामले में संबंधित वैधानिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

ix. औदीशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियमन, 2023 के अनुरूप इस मंत्रालय और यूजीसी को समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक हो, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने समझौता ज्ञापन/नियमों को अद्यतन या संशोधित या परिवर्तित करेगा।

x. औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।

xi. औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

xii. औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), अपने छात्रों की पहचान बनाएगा और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दे और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाए।

पू कि बनर्जी

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेली: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, ऐश्वर्या विज्ञान शैक्षणिक सोसायटी, औदिशंकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एनएच-5 बाईपास रोड, अरविंद नगर, गुडूर -524101
3. प्रधान सचिव, तकनीकी और उच्चतर शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार।
4. अध्यक्ष, औदिशंकर रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसायटी, 25/2/95/रेवेन्यू कॉलोनी, हीरो होंडा शोरूम स्ट्रीट, दरगामिट्टा, नेल्लोर-1, आंध्र प्रदेश-524004

5. प्राचार्य, औदिशंकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एनएच-5 बाईपास रोड, अरविंद नगर, गुडूर -524101
6. कुलपति, जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर।
7. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
8. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
9. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
10. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे सीएमआईएस यूनिट को कृपया विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित करने का निर्देश दें।
11. गार्ड फाइल / अधिसूचना फाइल।

रन्जन

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेली: +91 11 2338 1578